न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

पंचायत रिवीजन संख्याः 13/2020

दायर दिनांकः 30.09.2020

निर्णय दिनांक 24.04.2026

—: अनवान :—

1. ललित जैन पिता पुनम चन्द जी जाति जैन आयु 40 वर्ष पेशा—व्यवसाय, निवासी गांव केसर, कुंचोली, तहसील कुम्भलगढ, जिला राजसमन्द
2. पोपटलाल जैन पिता नाथुलाल जी जाति जैन आयु 45 वर्ष पेशा व्यवसाय, निवासी गांव केसर, कुंचोली, तहसील कुम्भलगढ, जिला राजसमन्द
3. धनसिंह पिता राजुसिंह जी जाति चदाणा राजपुत आयु 45 वर्ष पेशा खेती, निवासी गांव केसर, कुंचोली, तहसील कुम्भलगढ, जिला राजसमन्द

— **निगराकार**

बनाम

1. ग्राम पंचायत कुंचोली, पंचायत समिति कुम्भलगढ, जिला राजसमन्द
2. मोहनसिंह पिता भैरूसिंहजी जाति चदाणा राजपुत आयु 45 वर्ष निवासी गांव केसर, कुंचोली, तहसील कुम्भलगढ, जिला राजसमन्द
3. गुलाबचन्दजी जैन अध्यक्ष, जैन संघ केसर, गांव केसर, कुंचोली तहसील कुम्भलगढ, जिला राजसमन्द

— **गैर निगराकारगण**

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम ग्राम पंचायत कुंचौली द्वारा जारी पट्टा संख्या 33 दिनांक 05.11.2002 को निरस्त किये जाने बाबत

उपस्थित :—

1. श्री अतुल पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2. श्री जगदीश पालीवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 व 03
3. अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार ने निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत कुंचोली द्वारा जारी पट्टा संख्या 33 दिनांक 05.11.2004 से व्यथित होकर निगरानी याचिका प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 1 ग्राम पंचायत से

मिलीभगत कर एक बापी पट्टा दिनांक 05.11.2004 को बनवाया गया, जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को नही थी। उक्त फर्जी पट्टे की जानकारी अभी कुछ दिनों पूर्व मौके पर निर्माण कार्य कराये जाने व विवाद होने पर प्रथम बार 10.09.2020 को गांव केसर में हुई। कि विपक्षी संख्या 1 के द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा फर्जी व गलत हैं जो काबिले निरस्त योग्य हैं। निगरानी के साथ वादग्रस्त स्थल का नजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया जा रहा हैं, जो निगरानी का अभिन्न अंग हैं। नजरी नक्शें में लाल स्याही के मध्य स्थित रास्ता हैं जो A-B-C-D के मध्य दर्शित किया हुआ हैं, रास्ते की जगह का पट्टा बनाया जो निरस्त किये जाने योग्य हैं, विपक्षी संख्या 01 द्वारा राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के तहत पुराने मकानों का पट्टा जारी किये जाने का अधिकार हैं, जिसमें स्पष्ट कानुन बने हुए हैं कि किस आधार पर कितना पट्टा किसे व कैसे जारी किया जा सकता हैं। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के तहत नियम 157 में पुराने गृहों का विनियमितिकरण ''क'' जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी कराये जाने के इच्छुक हैं, वहां उन्हें निम्नलिखित प्रकार निक्षिप्त करानें के पश्चात प्रारूप 23 क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकता हैं। (1) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिये या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्याधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए पट्टा जारी किया जा सकता हैं। (2) उपर्युक्त खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिये, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी, बाजार दरो का 25 प्रतिशत परन्तु गरीबी रेखा के नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों के अधीन कोई फीस नही ''ख'' ऐसे परिवार जिनके पास कोई गृह या गृह स्थल नही हैं और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी झौपड़ी/ कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा हैं, अधिकतम 300 वर्गगज तक कब्जे के मुफ्त विनियमितिकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्रारूप ख) ऐसी महिला को जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की महिला मुखिया हो। कि नियम 157 के तहत उक्त नियमों के तहत पट्टा जारी किया जा सकता हैं। उक्त प्रकरण में उक्त नियम कानुन को नजरअन्दाज करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 2 को मिलीभगत से पट्टा जारी किया जो विधिक रूप से निरस्त योग्य हैं। ग्राम पंचायत कुंचोली विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया पट्टा राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 157 ''क'' एवं ''ख'' के अन्तर्गत जारी किया गया प्रतीत होता हैं। पट्टा संख्या 33 पट्टा जारी करनें की दिनांक 05.11.2004 जो 2555 एवं 551 वर्गफीट यानि कुल 2555+551 = 3106 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया जो सरासर गलत होकर के विधि विरूद्ध हैं विपक्षी संख्या 01 द्वारा विपक्षी संख्या 2 को जो पट्टा जारी किया गया वह गलत जारी किया गया। वादग्रस्त मकान की मौके की स्थिति जो नजरी नक्शें में वर्णित हैं उस रूप में हैं। वादग्रस्त पट्टे में पश्चिम की तरफ 29 X 19 का हिस्सा दर्शाया हुआ हैं जो गलत हैं। विपक्षी संख्या 2 की वहां पर कोई जगह नही हैं। पूर्व के हिस्से व पश्चिम के हिस्से के मध्य 8 फीट चौड़ा रास्ता हैं। ऐसे में 8 फीट चौड़े रास्ते को मिलाने हुए 29

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

फीट X 19 फीट का पट्टा जारी कराया गया, जबकि विपक्षी संख्या 2 की वहां पर पूर्व से पश्चिम 20 21 फीट नाप की जमीन हैं। उक्त जमीन के पूर्व दिशा की तरफ रास्ता हैं जिसे नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया हुआ हैं। ग्राम पंचायत एवं विपक्षी संख्या 2 ने मिलीभगत कर रास्ते की जगह को मिलाते हुए पट्टा जारी किया गया जो सरासर गलत हैं। उक्त रास्ते से 15 16 परिवार का आना जाना रहता हैं। मौके पर रास्ता मौजुद हैं, इसी रास्ते पर 5 सीढियां बनी हुई हैं, जिसका प्रार्थीगण जन्म से हीं उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। वादग्रस्त पट्टे में 73 X 35 के पश्चिम दिशा की तरफ वादग्रस्त रास्ता जो उत्तर से दक्षिण 8 फीट चौड़ा रास्ता मौजुद हैं, जो सार्वजनिक होकर के प्रत्येक ग्रामवासी इसका उपयोग उपभोग करते हैं, विशेष रूप से प्रार्थीगण का मकान वादग्रस्त मकान के उत्तर की तरफ होने से इसी रास्ते से होकर के अपने मकान पर जाया जाता हैं व अभी भी इसी रास्ते से जा रहे हैं। रास्ते के दक्षिण छोर पर 5 सिढिया भी लगा रखी हैं, 8 X 19 फीट जगह को विपक्षी संख्या 2 ने अपनी बताते हुए गलत रूप से पंचायत से पट्टा प्राप्त कर लिया जो गलत हैं, उक्त पट्टा निरस्त योग्य हैं। एक तो यह स्पष्ट नही हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा बापी पट्टा विपक्षी संख्या 2 को किस नियम के तहत दिया गया, नियम 157 ''क'' एवं 157 ''ख'' दोनो अलग अलग हैं जबकि पट्टे पर दोनो नियम का अंकन हैं। दुसरा नियम 157 के तहत 300 वर्गगज तक के पट्टे का प्रावधान हैं जो 600 फीट होता हैं। यहां पर पट्टा 3106 वर्गफीट का दिया गया, 600 वर्गफीट से ज्यादा पट्टा जारी किये जाने के अलग प्रावधान हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह हैं कि रास्ते की जगह का पट्टा बनाया गया जो विधि के तमाम सिद्धान्तों, नियम कानुन को ताक में रखकर अपने अधिकारों से परे जाकर पट्टा जारी किया वह खारिज योग्य हैं। रास्ते की जमीन जिसका सदिप से प्रार्थीगण व अन्य उपयोग – उपभोग करते चले आ रहे हैं, जिसका पट्टा पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 2 को जारी किया गया जो गलत हैं, प्रार्थीगण व ग्रामवासियों ने रास्ते पर निर्माण किये जाने से आपत्ति की गयी जिस पर विपक्षी संख्या 3 द्वारा आश्वस्त किया कि 8 फीट चौड़ा रास्ता उत्तर से दक्षिण छोड़ कर निर्माण किया जायेगा परन्तु अभी जो रास्ता खुला हुआ था उसको बन्द कर दिया, गांव वालो के विरोध करनें पर रास्ता वापस खोल दिया गया। ग्राम पंचायत को रास्ते की जमीन का पट्टा जारी करनें का कोई अधिकार नही हैं। ऐसे में वादग्रस्त पट्टा प्रारम्भसे हीं अवैध व शुन्य हैं। अतः निवेदन हैं कि निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत कुंचोली द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में ग्राम केसर में जारी पट्टा संख्या 33 दिनांक 05.11.2004 को खारिज फरमाया जाकर निरस्त किया जावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 को जारी नोटिस बाद तामील के प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश पालीवाल द्वारा वकालतनाम प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 01 के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई। तथा ग्राम पंचायत कुंचोली से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी।

न्यायालय जिला कलक्टर

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया कि ग्राम पंचायत कुंचोली विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया पट्टा राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 157 "क" एवं "ख" के अन्तर्गत जारी किया गया प्रतीत होता हैं। पट्टा संख्या 33 पट्टा जारी करनें की दिनांक 05.11.2004 जो 2555 एवं 551 वर्गफीट यानि कुल 2555+551 = 3106 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया जो सरासर गलत होकर के विधि विरूद्ध हैं विपक्षी संख्या 01 द्वारा विपक्षी संख्या 2 को जो पट्टा जारी किया गया वह गलत जारी किया गया। वादग्रस्त मकान की मौके की स्थिति जो नजरी नक्शें में वर्णित हैं उस रूप में हैं। वादग्रस्त पट्टे में पश्चिम की तरफ 29 X 19 का हिस्सा दर्शाया हुआ हैं जो गलत हैं। विपक्षी संख्या 2 की वहां पर कोई जगह नही हैं। पूर्व के हिस्से व पश्चिम के हिस्से के मध्य 8 फीट चौड़ा रास्ता हैं। ऐसे में 8 फीट चौड़े रास्ते को मिलाने हुए 29 फीट X 19 फीट का पट्टा जारी कराया गया, जबकि विपक्षी संख्या 2 की वहां पर पूर्व से पश्चिम 20 21 फीट नाप की जमीन हैं। उक्त जमीन के पूर्व दिशा की तरफ रास्ता हैं जिसे नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया हुआ हैं। ग्राम पंचायत एवं विपक्षी संख्या 2 ने मिलीभगत कर रास्ते की जगह को मिलाते हुए पट्टा जारी किया गया जो सरासर गलत हैं। उक्त रास्ते से 15 16 परिवार का आना जाना रहता हैं। मौके पर रास्ता मौजुद हैं, इसी रास्ते पर 5 सीढियां बनी हुई हैं, जिसका प्रार्थीगण जन्म से हीं उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। वादग्रस्त पट्टे में 73 X 35 के पश्चिम दिशा की तरफ वादग्रस्त रास्ता जो उत्तर से दक्षिण 8 फीट चौड़ा रास्ता मौजुद हैं, जो सार्वजनिक होकर के प्रत्येक ग्रामवासी इसका उपयोग उपभोग करते हैं, विशेष रूप से प्रार्थीगण का मकान वादग्रस्त मकान के उत्तर की तरफ होने से इसी रास्ते से होकर के अपने मकान पर जाया जाता हैं व अभी भी इसी रास्ते से जा रहे हैं। रास्ते के दक्षिण छोर पर 5 सिढिया भी लगा रखी हैं, 8 X 19 फीट जगह को विपक्षी संख्या 2 ने अपनी बताते हुए गलत रूप से पंचायत से पट्टा प्राप्त कर लिया जो गलत हैं, उक्त पट्टा निरस्त योग्य हैं। एक तो यह स्पष्ट नही हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा बापी पट्टा विपक्षी संख्या 2 को किस नियम के तहत दिया गया, नियम 157 "क" एवं 157 "ख" दोनो अलग अलग हैं जबकि पट्टे पर दोनो नियम का अंकन हैं। दुसरा नियम 157 के तहत 300 वर्गगज तक के पट्टे का प्रावधान हैं जो 600 फीट होता हैं। यहां पर पट्टा 3106 वर्गफीट का दिया गया, 600 वर्गफीट से ज्यादा पट्टा जारी किये जाने के अलग प्रावधान हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह हैं कि रास्ते की जगह का पट्टा बनाया गया जो विधि के तमाम सिद्धान्तों, नियम कानुन को ताक में रखकर अपने अधिकारों से परे जाकर पट्टा जारी किया वह खारिज योग्य हैं। अतः निवेदन हैं कि निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत कुंचोली द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में ग्राम केसर में जारी पट्टा संख्या 33 दिनांक 05.11.2004 को खारिज फरमाया जाकर निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यह कथन किया कि प्रार्थी संख्या 01 द्वारा जिस पट्टे का हवाला देकर पट्टे को निरस्त करने हेतु आप न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की है, उसके सम्बन्ध में स्वयं प्रार्थी संख्या 01 ने आपसी लिखतम दिनांक 12.10.2020 को स्वयं का बजाप्ता स्टाम्प 100/– रुपये का खरीदकर स्वयं ने लिखा पढी निश्पादित की है एवं उसमें स्पष्ट रूप से उसने अंकित किया कि समाज के उपासरे के पट्टे में रास्ता अंकित नहीं है, और वास्तव में भी रास्ता नहीं है और रास्ता को लेकर मैं विवाद नहीं करूँगा। केवल मात्र आप न्यायालय को गुमराह करने की नियत से एवं आप न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करने की नियत उक्त निगरानी अपने स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत नहीं की गयी है, एवं विपक्षीगण का किमती समय बर्बाद करने एवं उन्हे जलील व परेशान करने की नियत से उक्त निगरानी आप न्यायालय में प्रस्तुत की है, जिससे उक्त निगरानी इसी प्रारम्भिक स्टेज पर काबिले खारिज होने योग्य है, क्योंकि एक तरफ तो स्वयं प्रार्थी संख्या 01 यह कह रहा है कि उक्त तथाकथित पट्टा गलत जारी हुआ है एवं दूसरी तरफ स्वयं यह लिखापढी निश्पादित कर न्यायालय को गुमराह कर रहा है, जिससे यह स्पष्ट साबित होता है कि किस तरीके से प्रार्थी संख्या 01 आप न्यायालय में स्वच्छ हाथो से नहीं आया है। केवल विपक्षीगण को बेजा परेशान करने की नियत से उक्त निगरानी आप न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है, जो कि निरस्त होने योग्य है। विपक्षी संख्या 3 द्वारा मौके पर कोई निर्माण कार्य ही नहीं कराया गया है, उक्त पटटेशुदा भूमि को प्रार्थीगण अवैध तरीके से विपक्षी संख्या 2 व 3 से कुछ राशि देकर प्राप्त करना चाहते है क्योकि उक्त पटटेशुदा भूमि आबादी में आ जाने से एवं रोड के पास होने से अवैध तरीके से प्राप्त करना चाहते है, इसी उद्देश्य से उक्त निगरानी मिथ्या तरीके से आप न्यायालय को गुमराह करने की नियत से प्रस्तुत की गयी है। प्रार्थीगण का यह कहना सर्वथा गलत है कि रास्ते की भूमि को बन्द कर दिया एवं गाँव वालो के विरोध करने पर रास्ता वापस खोल दिया गया है, बल्कि मौके पर ऐसा कोई रास्ता ही मौजुद नही है, तो फिर रास्ता होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। निगराकार ने यह निगरानी माननीय न्यायालय में किस नियम के अन्तर्गत प्रस्तुत की है यह भी अंकित नहीं किया है, जबकि पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत की गयी कार्यवाही की नियमानुसार अपील का प्रावधान है, से भी यह निगरानी काबिल निरस्त होने योग्य है। प्रार्थीगण ने अपनी निगरानी में केवल मात्र रास्ते का विवाद होना बताकर उक्त निगरानी आप न्यायालय में प्रस्तुत की है, जबकि यदि रास्ते का कोई विवाद है तो उस सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में सुखाधिकार की घोषणा करवाये बिना यह निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। अतः निवेदन है कि निगरानी याचिका सव्यय खारिज फरमायी जावें।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व ग्राम पंचायत की मूल पट्टा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तीन दस्तावेज हैं :– प्रथम दस्तावेज एक आवेदन पत्र है, जो पूर्णतः रिक्त है और जिस पर प्रार्थी श्री मोहन सिंह के हस्ताक्षर हैं। द्वितीय

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

दस्तावेज एक शपथ पत्र है, जो पूर्णतः रिक्त है और जिस पर प्रार्थी श्री मोहन सिंह के हस्ताक्षर हैं। कार्यालय ग्राम पंचायत की टिप्पणी भी रिक्त है, जिस पर सरपंच के हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा निरीक्षण दल की रिपोर्ट रिक्त है और उस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं। अनापत्ति पत्र पूर्णतः रिक्त है, जिस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं। निर्णय पत्र पूर्णतः खाली है और उस पर नीचे सरपंच के हस्ताक्षर हैं। तथा तृतीय दस्तावेज के रूप एक पट्टा (विवादित पट्टा) लगा है, जो मोहन सिंह पुत्र श्री भैरू सिंह चदाना के नाम पर जारी किया गया है। इस संपूर्ण भूखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, यह कहीं भी अंकित नहीं है। तथा यह पट्टा दिनांक 05.11.2004 को जारी किया गया प्रतीत होता है। यह पट्टा भी एक साधारण पेपर पर टाइप किया गया दस्तावेज है और यह किसी आधिकारिक पट्टा बुक (Patta Book) का हिस्सा प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी विवादित पट्टा बिना किसी विधिक प्रक्रिया के जारी किया गया है। इसमें कोई जाँच नहीं कराई गई, पटवारी की रिपोर्ट नहीं ली गई, वार्ड पंचों की रिपोर्ट नहीं ली गई और अनापत्ति पत्र का प्रकाशन भी नहीं कराया गया। यहाँ तक कि समस्त प्रपत्र खाली हैं, ऐसी स्थिति में जारी किया गया विवादित पट्टा पूर्णतः विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल है, जिसका कोई प्रभाव नहीं माना जा सकता। अतः उक्त पट्टे को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत कुंचोली द्वारा जारी पट्टा संख्या 33 दिनांक 05.11.2004 को निरस्त किया जाता है तथा वादग्रस्त भूमि पर ग्राम पंचायत कुंचोली को यह अधिकार होगा कि वह पंचायती राज अधिनियम तथा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए तथा सार्वजनिक रास्तों व आम रास्तों के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए, नियमानुसार नए सिरे से नया पट्टा जारी करने हेतु स्वतंत्र रहेगी। ग्राम पंचायत कुंचौली को निर्णय की प्रति तथा उनके कार्यालय की मूल पट्टा पत्रावली भिजवाई जावें।

(अरूण कुमार हंसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 24.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हंसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)